STN-227/19 शासन वि. पुरानिक सेन

Witness No. .....**06**..... for .....अभि.सा..... Deposition taken the .....20.10.2021.....day of बुधवार Witness's apparent age ..... 55 वर्ष..... States on affirmation शपथ पूर्वक my name is ..... **उदे राम** Son of.....तेज राम सेन ..... occupation मजदूरी address.. ग्राम कुरूद थाना आरंग, जिला रायपुर छ.ग.

————————————————————————————————————

समय 11:55 बजे प्रारंभ

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक

1. मै न्यायालय उपस्थित आरोपी पुरानिक सेन को जानता हूं वह रिश्ते मे मेरे समधी लगते हैं। मै मृतिका भुनेश्वरी सेन को भी जानता था वह भी मेरी पुत्री थी।

2. मेरी पुत्री भुनेश्वरी का विवाह पुरानिक सेन के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह पश्चात् उनकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। मेरी पुत्री के सास–ससुर उसके साथ झगड़ा करते थे। मै कुरूद मे रहता हूं। घटना आज से करीब 2 वर्ष पूर्व की है, आरोपी पुरानिक सेन के बड़े पुत्र ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे पिता पुरानिक सेन ने तुम्हारी लड़की की हत्या कर दी है। फोन आने के पश्चात् मै और मेरी पत्नी छन्नी बाई अभनपुर सरकारी अस्पताल पहुंचा तो देखे कि मेरी पुत्री भुनेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। वहां मैने देखा कि मृतिका भुनेश्वरी के गले, छाती मे चोट के निशान थे और सिर का पिछला हिस्सा कटा हुआ था और भुनेश्वरी की मौत हो गई थी। पुलिस वालों ने मेरे सामने घटना के संबंध मे लिखा पढ़ी किया था और पुलिस को बयान भी दिया था। पुलिस ने पंचनामा के पूर्व नोटिस दिया था जो **प्रदर्श पी–1** है

जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, पुलिस ने मेरे समक्ष मृतिका भुनवेश्वरी के शव का पंचनामा कार्यवाही किया था जो **प्रदर्श पी–17** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस के पुछताछ के दौरान मैने बताया था कि मृतिका भुनेश्वरी से उसके सास–ससुर लड़ाई झगड़ा करतें है और पुरानिक सेन ने मेरी पुत्री भुनेश्वरी की हत्या कर दिया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संतोष देवांगन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

3. मुझे मेरे दामाद का नाम याद नहीं आ रहा है। मुझे मेरी पुत्री के विवाह का वर्ष याद नहीं है। स्वतः कहा कि आज से दो वर्ष पूर्व किया था। यह कहना गलत है कि विवाह वर्ष से लेकर घटना दिनांक के मध्य मैने कभी भी आरोपी पुरानिक सेन के विरूद्ध कहीं पर भी मैने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराया है। मैने थाना अभनपुर मे शिकायत कराया था कि पुरानिक सेन मेरी लड़की के साथ मारपीट करता है और तकलीफ देता है। मैने यह शिकायत मेरी लड़क की शादी के लगभग दो साल के बाद कराया था स्वतः कहा कि मै पढ़ा लिखा नहीं हूं मुझे दिन तारीख याद नहीं है। पुलिस वालों ने मेरी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं किये थे। मैने शिकायत मौखिक किया था। यह कहना गलत है कि मैने कभी भी शिकायत नहीं किया है स्वतः कहा कि मेरे पास घर मे फोटोकॉपी है।

4. यह कहना गलत है कि शिकायत झुठी थी इसलिए अभनपुर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। यह कहना सही है कि मुझे इस बात की जानकारी है कि जब थाने मे कार्यवाही ना करें तो उसकी शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारी से की जानी चाहिए, स्वतः कहा कि मैने पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत किया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे द्वारा

पुलिस अधीक्षक मे की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही हुई अथवा नहीं। यह कहना गलत है कि आरोपी पुरानिक सेन ने मेरे सामने मेरी लड़की को कभी प्रताड़ित नहीं किया स्वतः कहा कि मेरे एवं मेरी पत्नी के सामने आरोपी पुरानिक सेन ने मेरी लड़की का मर्डर करूंगा कहा था।

5. यह कहना सही है कि मेरी पुत्री की हत्या की घटना को मैने अपने ऑखों से नहीं देखा है। साक्षी को उसका पुलिस कथन पढ़ाकर सुनाये जाने पर उसने स्वीकार किया कि उसके पुलिस कथन मे यह बात नहीं लिखा है कि पुरानिक सेन के द्वारा मेरी लड़की का मर्डर करूंगा कहा था।

6. मै घटना दिनांक को सुबह 10–11 बजे के लगभग सरकारी अस्पताल अभनपुर पहुचा था। मुझे नीरज सेन द्वारा घटना की सूचना 10–11 बजे के पूर्व लगभग एक घंटे पूर्व फोन पर दिया गया था। यह कहना सही है कि मै तत्काल घटना स्थल पर नहीं गया था। स्वतः कहा कि जब पुलिस वाले मौके पर पुलिस वाले ले गये थे तब गया था।

7. जब मै सरकारी अस्पताल अभनपुर पहुचा तो मेरी लड़की भुनेश्वरी के ससुराल के कोई लोग वहां उपस्थित नहीं थे। घटना के लगभग 10–15 दिन बाद पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था। पुलिस वालों ने मेरा बयान एस.पी. ऑफिस मे लिया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घ ाटना के संबंध मे मेरा पुलिस कथन मेरे बताए अनुसार लिखा था अथवा नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदर्श पी–1 पर मैने कब हस्ताक्षर किया था। पुलिस वाले प्रदर्श पी–17 मे मेरा हस्ताक्षर मृतिका के शव को पोस्टमार्टम मे ले जाने के पूर्व पुलिस वाले मुझसे लिये थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–17 पंचनामा मे जब मैने हस्ताक्षर किया था तब वह कोरा था।

मैनें प्रदर्श पी–17 के पंचनामा के पिछे तरफ पलट कर नहीं देखा था इसलिए नहीं बता सकता कि पिछे कोरा था या लिखा हुआ था। मुझे पुलिस वालों ने प्रदर्श पी–17 का पंचनामा पढ़कर नहीं सुनाया था। मुझे जानकारी नहीं है कि कभी–कभी कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे व्यक्ति का नाम बता देता है।

8. विवाह के पश्चात् मै अपनी पुत्री के ससुराल 3–4 बार गया हूं। यह कहना गलत है कि मैं पुरानिक सेन को फंसाने के लिए झुठा कथन कर रहा हूं स्वतः कहा कि पुरानिक सेन ने थाने मे स्वयं कबूल किया था कि मर्डर उसी ने किया है। आरोपी घटना के एक घंटे के बाद थाना गया था और मर्डर करने की बात स्वीकार किया था।

9. थाना अभनपुर और सरकारी अस्पताल अभनपुर पास–पास है। पुलिस वालें मुझे सकारी अस्पताल से थाने ले गये थे।

समय 12:45 बजे समाप्त

गवाह को पढ़कर सुनाया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही होना स्वीकारा गया ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....सही/–.....